न्यायालय : सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्री मुकेश बारैठ आरएएस

प्रकरण सं0 : 63/2019

अनवान :

1. शीशराम पुत्र मोहरसिंह जाति जाट निवासी भाडी तहसील भादा जिला हनुमानगढ़।

– वादी

बनाम

1. मोहरसिंह पुत्र ईश्वरराम जाति जाट निवासी भाडी तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।
2. कृष्ण कुमार पुत्र मोहरसिंह जाति जाट निवासी भाडी तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।
3. एसबीआई बैंक भादरा जरिये शाखा प्रबन्धक एसबीआई बैंक भादरा।
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) भादरा।

– प्रतिवादीगण

दावा बाबत : इस्तकरार हक
अन्तर्गत धारा 88 राज0काश्त0अधि0 1955
उपस्थिति : वकील श्री बंशीधर शर्मा : वादी

निर्णय **दिनांक :** 06-02-2

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम भाडी के खाता सं0 150/144 के खसरा सं0 182 की 1.1510 है0, खसरा नं0 183 की 1.5690 है0, खसरा नं0 184 की 3.3400 है0, खसरा नं0 317 की 1.3530 है0, खसरा नं0 330 की 0.0510 है0, खसरा नं0 348 की 4.4650 है0, खसरा नं0 349 की 2.2770 है0, खसरा नं0 685 की 0.0130 है0, खसरा नं0 686 की 4.2250 है0, खसरा नं0 689 की 2.7320 है0 कुल 21.1760 है0, भूमि वादी के पिता प्रतिवादी सं0 1 मोहरसिंह का 1/3 हिस्सा दर्ज है तथा इसी अनुसार भाडी के खाता सं0 151/145 के खसरा नं0 462/1 की 4.3010 है0 खसरा नं0 525 की 0.5060 है0, खसरा नं0 708 की 6.1350 है0 कुल 10.9420 है0 भूमि में प्रतिवादी सं0 1 मोहरसिंह का 1/3 हिस्सा दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

वादी व प्रतिवादी सं0 1 ता 2 संयुक्त हिन्दु परिवार के सदस्य है एवं दावा की मद सं0 3 में वर्णित कृषि भूमि संयुक्त हिन्दू परिवार की जद्दी सम्पति है जो पीढ़ी दर पीढ़ी विरासतन प्राप्त होती आ रही है प्रतिवादी सं0 1 मोहरसिंह को उक्त कृषि भूमि अपने पिता ईशरराम से विरासतन प्राप्त हुई थी जो महज परिवार का कर्ता खानदान होने के कारण प्रतिवादी सं0 1 मोहरसिंह के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। वाद भूमि में प्रतिवादी सं0 1 मोहरसिंह के साथ वादी एवं प्रतिवादी सं0 2 का जन्म से हक हिस्सा निहित है। पक्षकारान दावा संयुक्त रूप से उक्त कृषि भूमि काश्त करते आ रहे है।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के उपरान्त प्रतिवादीगण सं0 1 व 2 ने इकबाल दावे पेश किये। प्रतिवादी सं0 3 व 4 को तर्क किया गया।

साक्ष्य वादी में वादी शीशराम के बयान करवाये गये। दस्तावेजी साक्ष्य में सत्य फोटो प्रतिलिपि जमाबन्दी ग्राम भाडी खाता सं0 150/144, 151/145 सम्वत् 2071

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक)भादरा

से 74 प्रदर्श 1, फोटो प्रति प्रमाणित जमाबन्दी खतौनी ग्राम भाडी सम्वत् 2051 प्रदर्श 2, फोटो प्रति प्रमाणित जमाबन्दी खतौनी ग्राम भाडी सम्वत् 2043 प्रदर्श 3, वारिस प्रमाण पत्र प्रदर्श 4 प्रदर्शित करवाये।

बहस वकील वादी सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने कथन किया कि प्रतिवादी सं0 1 मोहरसिंह को वाद कृषि भूमि अपने पिता ईशरराम से विरासतन प्राप्त हुई थी। वाद भूमि में प्रतिवादी सं0 1 मोहरसिंह के साथ वादी एवं प्रतिवादी सं0 2 का जन्म से हक हिस्सा निहित है। इस प्रकार वाद वादी डिक्री किये जाने हेतु निवेदन किया।

हमने वकील वादी के बहस पर मनन किया। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। हस्तगत वाद वादी ने ग्राम भाडी के राजस्व रिकार्ड में अपने पिता के नाम दर्ज कृषि भूमि में अपने हकों की घोषणा करवाने हेतु पेश किया है। वादी ने अपने दावा में अंकित किया है कि प्रतिवादी सं0 1 मोहरसिंह को वाद कृषि भूमि अपने पिता ईशरराम से विरासतन प्राप्त हुई थी जिसकी पुष्टि में वादी ने फोटो प्रति प्रमाणित जमाबन्दी खतौनी ग्राम भाडी सम्वत् 2051 प्रदर्श 2, फोटो प्रति प्रमाणित जमाबन्दी खतौनी ग्राम भाडी सम्वत् 2043 प्रदर्श 3 प्रदर्शित करवाये है जिनमें ग्राम भाडी के खाता सं0 150/144 की कृषि भूमि वादी के दादा ईशरराम वल्द फताराम के नाम दर्ज है जिससे खाता सं0 150/144 की कृषि भूमि की प्रतिवादी सं0 1 को अपने पिता ईशरराम से विरासतन प्राप्त होना व दादालाई कृषि भूमि होना साबित है एवं वारिस प्रमाण पत्र प्रदर्श 4 में मोहरसिंह के वारिसान में पत्नी चावली, दो पुत्र शिशराम व कृष्ण कुमार होना व इनके अलावा अन्य कोई वारिस नहीं होना अंकित है। इस अलावा ग्राम भाडी के खाता सं0 151/145 की कृषि भूमि बाबत वादी ने कोई दादालाई का रिकार्ड अथवा प्रतिवादी सं0 1 को कृषि भूमि विरासतन प्राप्त होने का रिकार्ड पेश नहीं किया है। इस प्रकार वाद वादी आंशिक डिक्री किये जाने योग्य है।

अत : वाद वादी आंशिक डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि ग्राम भाडी के खाता सं0 150/144 के खसरा सं0 182 की 1.1510 है0, खसरा नं0 183 की 1.5690 है0, खसरा नं0 184 की 3.3400 है0, खसरा नं0 317 की 1.3530 है0, खसरा नं0 330 की 0.0510 है0, खसरा नं0 348 की 4.4650 है0, खसरा नं0 349 की 2.2770 है0, खसरा नं0 685 की 0.0130 है0, खसरा नं0 686 की 4.2250 है0, खसरा नं0 689 की 2.7320 है0 कुल 21.1760 है0, भूमि वादी के पिता प्रतिवादी सं0 1 मोहरसिंह का 1/3 हिस्सा दर्ज है में तन्हा प्रतिवादी सं0 1 के बजाय वादी व प्रतिवादी सं0 1 व 2 तीनों बहिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार है। चूंकि वाद कृषि भूमि बैंक के रहन है इसलिए रहन मुक्त होने के उपरान्त उपरोक्त घोषणा अनुसार वादी व प्रतिवादी सं0 1 ता 2 तीनों के नाम 1/3 हिस्सा बहिस्सा बराबर राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। रोही मौजा भाडी के खाता सं0 151/145 के खसरा नं0 462/1 की 4.3010 है0 खसरा नं0 525 की 0.5060 है0, खसरा नं0 708 की 6.1350 है0 कुल 10.9420 है0 भूमि में प्रतिवादी सं0 1 मोहरसिंह के नाम दर्ज 1/3 हिस्सा यथावत दर्ज रखा जावे। खर्चा उभय पक्ष अपना अपना वहन करें। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 06-02-2020 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मुकेश बारठ) R.A.S.
सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक)
भादरा, जिला हनुमानगढ़

पर्चा डिक्री

न्यायालय : सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्री मुकेश बारैठ आरएएस

प्रकरण सं0 : 63/2019

अनवान :

1. शीशराम पुत्र मोहरसिंह जाति जाट निवासी भाडी तहसील भादा जिला हनुमानगढ़।

– वादी

बनाम

1. मोहरसिंह पुत्र ईश्वरराम जाति जाट निवासी भाडी तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।
2. कृष्ण कुमार पुत्र मोहरसिंह जाति जाट निवासी भाडी तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।
3. एसबीआई बैंक भादरा जरिये शाखा प्रबन्धक एसबीआई बैंक भादरा।
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) भादरा।

– प्रतिवादीगण

आज यह वाद मुझ मुकेश बारैठ सहायक कलक्टर फास्ट ट्रैक भादरा के समक्ष वकील वादी श्री बंशीधर शर्मा की उपस्थिति में निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी आंशिक डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि ग्राम भाडी के खाता सं0 150/144 के खसरा सं0 182 की 1.1510 है0, खसरा नं0 183 की 1.5690 है0, खसरा नं0 184 की 3.3400 है0, खसरा नं0 317 की 1.3530 है0, खसरा नं0 330 की 0.0510 है0, खसरा नं0 348 की 4.4650 है0, खसरा नं0 349 की 2.2770 है0, खसरा नं0 685 की 0.0130 है0, खसरा नं0 686 की 4.2250 है0, खसरा नं0 689 की 2.7320 है0 कुल 21.1760 है0, भूमि वादी के पिता प्रतिवादी सं0 1 मोहरसिंह का 1/3 हिस्सा दर्ज है में तन्हा प्रतिवादी सं0 1 के बजाय वादी व प्रतिवादी सं0 1 व 2 तीनों बहिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार है। चूंकि वाद कृषि भूमि बैंक के रहन है इसलिए रहन मुक्त होने के उपरान्त उपरोक्त घोषणा अनुसार वादी व प्रतिवादी सं0 1 ता 2 तीनों के नाम 1/3 हिस्सा बहिस्सा बराबर राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। रोही मौजा भाडी के खाता सं0 151/145 के खसरा नं0 462/1 की 4.3010 है0 खसरा नं0 525 की 0.5060 है0, खसरा नं0 708 की 6.1350 है0 कुल 10.9420 है0 भूमि में प्रतिवादी सं0 1 मोहरसिंह के नाम दर्ज 1/3 हिस्सा यथावत दर्ज रखा जावे। खर्चा उभय पक्ष अपना अपना वहन करें।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 06-2-2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

सहायक कलक्टर
(मुकेश बारैठ)
(फास्ट ट्रैक) भादरा
R.A.S.
सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक)
भादरा, जिला हनुमानगढ़

Signature Not Verified
Digitally signed by Mukesh Bareth
Date: 2020.02.26 10:35:35 IST
Reason: SelfAttested
Location: